>

Title : Need to issue orders to GAIL to pay compensation to the affected farmers whose crops were devastated due to laying of gas pipelines by GAIL, Vadodara, Gujarat.

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): महोदय, गेल इण्डिया लिमिटेड बडोदरा के द्वारा दाहेज-वेमार-विजापुर गैस पाईप लाईन बिछाने का कार्य वर्ष 2003 से गुजरात के दाहेज गाँव से शुरू किया गया जोकि दाहोद जिले के खंगेला गाँव से आगे विजय नगर होते हुए मध्य प्रदेश तक बिछाया गया लेकिन वर्ष 2004 में उक्त पाईप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण होने के बाद इसी वर्ष में वर्षा के मौसम के दौरान ये पाईप लाइन किसानों के खेतों में धंस जाने के कारण वर्ष 2004 के खेत उत्पादन और खेती की उपज पूर्ण रूप से नष्ट होने और रेस्टोरेशन की समस्या से उत्पन्न विपरीत परिस्थिति और किसानों की खेती को हुए नुकसान की भरपाई और उचित मुआवजा प्राप्त करने हेतु 3300 डी.वी.पी.एल. किसानों ने गेल इण्डिया लिमिटेड, बडोदरा को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया, लेकिन गेल इण्डिया लि0, बडोदरा द्वारा उन्हें कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया और इसी के चलते असरग्रस्त किसानों ने उच्च न्यायालय, गुजरात में अपनी याचिका दायर की। उच्च न्यायालय, गुजरात ने दिनांक 07.10.2009 को स्पेशियल सी.ए. 4938/09 और 4939/09 के अंतर्गत गेल इण्डिया लि0, बडोदरा को अपना आदेश जारी करते हुए और किसानों की दायर याचिका को स्वीकृत करते हुए ये आदेश जारी किया कि निम्नलिखित चार जिलों के असरग्रसत किसानों के हक में कुल राशि रू0 53,47,91,817 एक सप्ताह के भीतर पी.डी. खाते में जमा किए जाएं।

1. भरूच जिला
2. बडोदरा जिला
3. पंचमहल जिला
4. दाहोरी जिला

लेकिन, अद्यतन स्थिति के अनुसार उक्त राशि को गेल इण्डिया लि0, बडोदरा द्वारा जमा नहीं की गयी है।

अतः मेरा माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय जी से आग्रह और अनुरोध है कि इस विषय में वे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर गेल इण्डिया लि0, बडोदरा को तत्काल आदेश जारी करें और पीड़ित गरीब किसानों के हक में उनकी बकाया राशि का भुगतान करे और निर्धन और आदिवासी किसानों को उचित न्याय दिलाने का प्रयास करें।